प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 27.05.2026**

- **थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए लूट की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये ₹ 3000/-नगद, 01 मोबाइल, लूट की घटना में प्रयुक्त 01 सफेद अपाचे मोटर साइकिल बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना रूरा पर दिनांक 26.05.2026 को वादी श्री सूर्यांश तिवारी पुत्र अखिलेश कुमार तिवारी निवासी ग्राम सराय गढ़ेवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को एक सफेद अपाचे मोटर साइकिल सवार तीन लोगों द्वारा कोचिंग सेन्टर जाते समय मारपीट कर मोबाइल छीन कर भाग जाने पर वादी द्वारा अपने साथी रामलखन के साथ पीछा करने पर वादी के साथी रामलखन की जेब से पाँच हजार रूपये निकाल लेने और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग जाने एवं उक्त तीनो लोगों द्वारा वीरू कश्यप पुत्र रामलखन कश्यप निवासी ग्राम अलावलपुर थाना रूरा के साथ भी इंजुआरामपुर से गेंदामऊ पुल टावर के पास वीरू के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल POCO कम्पनी और तीन हजार रूपये छीन लेने, तथा दुर्गेश कुशवाहा पुत्र इन्द्रपाल कुशवाहा निवासी ग्राम अम्बियापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात से भी 1500 रूपये छीन लेने तथा भटौली चौराहा के पास वीरू कश्यप पुत्र रामलखन कश्यप द्वारा अपाचे सवार उन्हीं तीनों बदमाशों में भागते समय एक लूटेरे विश्वनाथ दोहरे पुत्र धोबीलाल निवासी ग्राम ठाकुरान गढ़ेवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को पकड़ लेने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 0158/2026 धारा 309(4)/115(2)/126(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 1.विश्वनाथ दोहरे पुत्र धोबीलाल निवासी ग्राम ठाकुरान गढ़ेवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, 2.मोहित वाल्मीकि पुत्र राजेन्द्र, 3.हिमान्शू पुत्र रामभरोसे निवासीगण ग्राम हसनापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में पुलिस द्वारा माल व मुल्जिमान की तलाश में कार्यवाही करते हेतु आज दिनांक 27.05.2026 को थाना पर लाये गये अभियुक्त विश्वनाथ दोहरे पुत्र धोबीलाल निवासी ग्राम ठाकुरान गढ़ेवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को पूछताछ कर लूटे गये ₹ 3000/- नगद व 01 मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल अपाचे बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण–

1. विश्वनाथ दोहरे उम्र करीब 34 वर्ष पुत्र धोबीलाल निवासी ग्राम ठाकुरान गढ़ेवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ अभियुक्त–विश्वनाथ दोहरे ने बताया कि दिनांक 26.05.2026 को अपने दोस्त मोहित वाल्मीकि पुत्र राजेन्द्र, हिमान्शू पुत्र रामभरोसे के साथ शराब पीने और नशे में होने पर मोहित द्वारा रास्ते में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति से लूट करने की योजना बनाया जाना और एक के बाद एक चार लोगों के साथ मोहित और हिमान्शु के साथ मिलकर चारो लूट करना स्वीकार किया गया।

बरामदगी-

1. लूटे के ₹ 3000/- नगद।
2. 01 मोबाइल फोन POCO कम्पनी (पीड़ित वीरू कश्यप का)।
3. घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल अपाचे (बिना नम्बर)।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सुधीर भारद्वाज
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह
3. हे0का0 66 रामपाल